17.09.21

दोनो पक्षों के वकील उपस्थित । पत्रावली पर उभयपक्षकारन की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 द्वारा बटवाडा के वाद पत्र पेश किया गया था जो मूल वाद बअनवान प्रकरण वादीगण रसालदेवी वगैरह बनाम जबरपुरी वगैरह के जरिये वाद संख्या 30/17 वाद पत्र दर्ज कर प्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया था, जिसमें दिनांक 11.09.2017 को पत्रावली तलबी हेतु नियत थी जिस पर सम्मन तामील अदम तामील नहीं लौटने पर पत्रावली दिनांक 03.11.2017 को नियत रखी गई तथा पश्चात दिनांक 12.02.2018 को मूल वाद में प्रार्थीगण के नाम पर जारी सम्मन को तामील मानते हुये उनके विरूद्व एपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 16.03.2018 को एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई जिसमें दिनांक 03.05.2018 को विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर पत्रावली में अन्तिम डिक्री जारी करते हुये उपरोक्त प्रकरण को अन्तिम तौर से निस्तारित कर दिया गया ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि दिनांक 26.07.2017 को प्रार्थीगण के नाम से जो सम्मन जारी किये गये थे उपरोक्त सम्मन की पुस्त पर सवार द्वारा प्रार्थी के घर पर होना कथन करते हुये आबाद मकान पर चस्पा होना दर्शाया एवं इसी प्रकार वशपुरी के सम्मन पर दिशावर रहना बताकर आबाद मकान पर सम्मन चस्पा होना दर्शाया गया है, जबकि प्रार्थीगण लम्बे समय से अपने व्यवसायिक स्थान गांव छाणी राज्य गुजरात में निवासरत है तथा शादी विवाह समारोह इत्यादि में

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:09 IST
Reason: SelfAttested

गाव आते जाते रहते है एवं अपने खेत के देखभाल करते है जिससे उपरोक्त सम्मन पूर्ण रूप से तामील सुदा की तारीख में नहीं आते है साथ ही उपरोक्त सम्मन पर सवार द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उपरोक्त रिपोर्ट में सी.पी.सी. के प्रावधान आदेश 05 नियम 17 व 18 की पालना नहीं होने से सम्मन को तामील सुदा नहीं माना जाता है क्योंकि उपरोक्त सम्मन किसी वार तिथी व समय पर चस्पा किये गये है इस बात का कोई उल्लेख नहीं है जिससे उपरोक्त सम्मन की तामील वैध तामील के रूप में नही मानी जा सकती साथ ही उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार सिवाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया है उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव भी राजस्व निरीक्षक व पटवारी हल्का की उपस्थिति में तैयार होने से एवं प्राथमिक डिक्री के विपरित विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तैयार नहीं किये जाकर कब्जे के अनुरूप तैयार किये गये जिसमे उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण को इसकी सूचना नहीं थी जिससे उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना उनकी सहमति से तैयार होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही किये जाने से उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है साथ ही प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 12.02.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही के पश्चात प्राथमिक डिक्री की पालना में पेश विभाजन पर दिनांक 03.05.2018 को पारित अन्तिम डिक्री को निरस्त करते हुये एवं विभाजन प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुये, प्रकरण पुनः सुनवाई में लिया जाकर प्रार्थीगण को न्यायिक प्रकिया में अनुमति प्रदान करने की इस्तदुआ की ।

विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पेश जबाव के तथ्यों को दोहराते हुये उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के नाम से जारी सम्मन को सही तरीके से तामील होना मानते हुये उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप जारी अन्तिम डिक्री को सही होना बताया व कथन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में बंटवाडा होने व उनके मध्य आपसी लिखत होने से अन्तिम सही जारी की गई है जो किसी तरह निरस्त किये जाने योग्य नहीं है ।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय की नजीरात RRT 2018 (1) Page Number 2018 Jhutharam vs Palu, DNJ 2019 (1) Rajasthan Page Number 74 Shabir vs Ismile Ali & DNJ 2020 (1) Rajasthan Page Number225 Swati Agrwal vs Rajasthan State पेश की गई साथ ही विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा DNJ 2017 (1) Rajasthan Page Number 290 Rajjo Vs Satish Kumar Meghwal, DNJ 2016 (4) Rajasthan Page Number 1537 Auto Corus Vs Motor Accidental Claims Tribunal Ajmer & DNJ 2016 (3) Rajasthan Page Number 1428 Rom Industries Ltd Vs Firm M/S Sugan Chand Hanuman Das पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:09 IST
Reason: SelfAttested

जिसका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया उपरोक्त प्रकरण में मूल वाद पत्र में प्रार्थी जबरपुरी व वंशपुरी के नाम से सम्मन

सहायक कलेक्टर (SDO) सिवाना

तामिल सुदा पेश हुये उपरोक्त सम्मन की पुस्त पर जबरपुरी के घर पर होने व सम्मन लेने से इन्कार पर आबाद मकान पर चस्पा होना सवार द्वारा दर्शाया है इसी प्रकार बंशपुरी के सम्मन की पुस्त पर सवार द्वारा प्रार्थी बंशपुरी के बाहर देशावर रहने का कथन करते हुये आबाद मकान पर सम्मन चस्पा होना दर्शाया है मगर उपरोक्त सम्मन के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता कि सम्मन किस तारीख ,वार व समय के रोज उपरोक्त सम्मन प्रार्थीगण को दिये गये व इनके द्वारा लेने से इन्कार किया गया जो सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानो के अनुरूप नहीं है इसके विपरीत प्रार्थीगण द्वारा स्वंय को गांव छाणी राज्य गुजरात में निवासरत होने बाबत अपना निर्वाचन कार्ड की छायाप्रति पेश करने से भी प्रार्थी के गांव हिंगलाज माता थाना में रहवासरत नही होना स्पष्ट करता है एवं स्वंय सवार द्वारा बंशपुरी के देसावर में रहने का उल्लेख करने से भी यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त प्रकरण में सवार द्वारा चस्पानंगी रिपोर्ट दर्शाई गई है उपरोक्त रिपोर्ट सीपीसी के प्रावधानो के अनुरूप नही होने से स्वीकार करने योग्य प्रतीत नही होती है । इसके विपरित जो विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश किया गया है का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव राजस्व निरीक्षक थापन व पटवार हल्का गुडानाल की उपस्थिति में तैयार किया गया था जिस पर प्रति हस्ताक्षर तहसीलदार सिवाना द्वारा किये गये जिसमें भी प्रार्थीगण के उपस्थित के हस्ताक्षर नहीं है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानो के विपरित होने से उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव कानूनन स्वीकार करने योग्य नहीं है। तथा उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री की पालना के विपरित मौके के अनुरूप विभाजन पेश हुआ है जबकि प्राथमिक डिक्री बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तौर पर जारी होने से उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के विपरित पेश होन से स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 12.02.2018 को जारी एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाती है एवं दिनांक 27.04.2018 को तहसीलदार सिवाना के जरिये पेश विभाजन प्रस्ताव अस्वीकार कर उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अन्ति डिक्री दिनांक 03.05.2018 को निरस्त किया जाता है,तहसीलदार सिवाना को आदेश जारी हो की वाद पत्र पेश होने रोज अर्थात दिनांक 28.072017 रोज की राजस्व रेकर्ड की स्थिति कायम की जावें, मूल वाद बअनवान प्रकरण [illegible] नाम जबरपुरी वगैरह का वाद संख्या 30 / 17 [illegible] में लिये जाने का आदेश दिया जाता [illegible] मूल वाद [illegible] पेशी तारीख 01.10.2021 को पेश हो [illegible] आद पत्र एवं साक्ष्य दस्तावेज [illegible] जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चो पक्षकारन अपना अपना वहन करे। आदेश आज दिनांक 17.09.2021 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:09 IST
Reason: SelfAttested